



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 145-2017/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 18, 2017 (SRAVANA 26, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 18 अगस्त, 2017

संख्या 72/एसटी-2.— हरियाणा माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में, अनुसूची III- 9 प्रतिशत में, क्रम संख्या 452 और उसके सामने प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
452क	4011 70 00	ट्रैक्टर के लिए टायर
452ख	4013 90 49	ट्रैक्टर टायर के लिए ट्यूब
452ग	8408 20 20	ट्रैक्टर के लिए एग्रीकल्चरल डीजल इंजन जिनकी सिलिंडर क्षमता 250 सीसी से अधिक हो
452घ	8413 81 90	ट्रैक्टर के लिए हाइड्रॉलिक पम्पस
452ङ	8708 10 10	ट्रैक्टर के लिए बम्पर और इनके कलपुर्जे

452च	8708 30 00	ट्रैक्टर के लिए ब्रेक एसेम्बली और इनके कलपुर्जे
452छ	8708 40 00	ट्रैक्टर के लिए गियर बॉक्स और इनके कलपुर्जे
452ज	8708 50 00	ट्रैक्टर के लिए ट्रांसएक्सल और इनके कलपुर्जे
452झ	8708 70 00	ट्रैक्टर के लिए रोड व्हील्स और इनके कलपुर्जे तथा उपसाधन
452ञ	8708 91 00	(i) ट्रैक्टर के लिए रेडिएटर एसेम्बली और इनके कलपुर्जे (ii) ट्रैक्टर इंजन के लिए कूलिंग सिस्टम और इनके कलपुर्जे
452ट	8708 92 00	ट्रैक्टर के लिए साइलेंसर एसेम्बली और इनके कलपुर्जे
452ठ	8708 93 00	ट्रैक्टर के लिए क्लच एसेम्बली और इनके कलपुर्जे
452ड	8708 94 00	ट्रैक्टर के लिए स्टीयरिंग व्हील्स और इनके कलपुर्जे
452ढ	8708 99 00	ट्रैक्टर के लिए हाइड्रॉलिक और इनके कलपुर्जे
452ण	8708 99 00	ट्रैक्टर के लिए फंडर, हुड, रेपर, ग्रिल, साइड पैनल, एक्सटेंशन प्लेट्स, ईंधन टैंक और इनके कलपुर्जे”।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 18th August, 2017

No. 72/ST-2.— In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No.35/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017, in Schedule III – 9%, after serial number 452 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
“452A	4011 70 00	Tyre for tractors
452B	4013 90 49	Tube for tractor tyres
452C	8408 20 20	Agricultural Diesel Engine of cylinder capacity exceeding 250 cc for Tractor
452D	8413 81 90	Hydraulic Pumps for Tractors

452E	8708 10 10	Bumpers and parts thereof for tractors
452F	8708 30 00	Brakes assembly and its parts thereof for tractors
452G	8708 40 00	Gear boxes and parts thereof for tractors
452H	8708 50 00	Transaxles and its parts thereof for tractors
452I	8708 70 00	Road wheels and parts and accessories thereof for tractors
452J	8708 91 00	(i) Radiator assembly for tractors and parts thereof. (ii) Cooling system for tractor engine and parts thereof
452K	8708 92 00	Silencer assembly for tractors and parts thereof
452L	8708 93 00	Clutch assembly and its parts thereof for tractors
452M	8708 94 00	Steering wheels and its parts thereof for tractors
452N	8708 99 00	Hydraulic and its parts thereof for tractors
452O	8708 99 00	Fender, Hood, wrapper, Grill, Side Panel, Extension Plates, Fuel Tank and parts thereof for tractors".

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.